रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265261
CG-DL-E-07082025-265261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 34] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

आ.अ. 34(अ).— यत:, भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, मैं, पी.सी. मोदी एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि—

(i) अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा संख्या आरएस 28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी, सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव/ श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश-दिन से भिन्न) मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 बजे के बीच, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 तक परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी केवल पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चातकथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उक्त कार्यालय, कमरा संख्या एफ—100, संगोष्ठी—2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में, मतदान इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 10 बजे और मध्याह्न पश्चात् 5 बजे के बीच होगा।

नई दिल्ली,
7 अगस्त, 2025

[फा. सं. RS/VPE/10/2025-T]

पी. सी. मोदी, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी
और महासचिव, राज्य सभा

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2025

ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th August, 2025

O.N. 34(E).— WHEREAS a notification under sub-section (1) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, P.C. MODY, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. RS-28, First Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Ms. Garima Jain, Joint Secretary/Shri Vijay Kumar, Director, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11 a.m. and 3 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than Thursday, the 21st August, 2025;

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of Rupees Fifteen Thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the time aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of Section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. F-100, Sangoshthi-2, First Floor, Parliament House, New Delhi, on Friday, the 22nd August, 2025 at 11 a.m.;

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of Monday, the 25th August, 2025;

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Tuesday, the 9th September, 2025 between the hours of 10 a.m. and 5 p.m. at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi,

Dated the 7th of August, 2025

[F. No. RS/VPE/10/2025-T]

P.C. MODY, Returning Officer For the Vice-Presidential Election, 2025
and Secretary-General, Rajya Sabha

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.07 01:27:14 +05'30'